

इस्पात मंत्रालय

मांग संख्या 95

इस्पात मंत्रालय

क. वसूलियाँ और प्राप्तियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	8.00	64.84	72.84	20.00	67.74	87.74	7.00	65.92	72.92	15.00	67.95	82.95	
पूँजी	
जोड़	8.00	64.84	72.84	20.00	67.74	87.74	7.00	65.92	72.92	15.00	67.95	82.95	
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	20.10	20.10	...	23.26	23.26	...	21.37	21.37	...	23.35	23.35
लौह तथा इस्पात उद्योग													
2. लौह तथा इस्पात क्षेत्र में शोध और विकास संवर्धन													
2.01 लौह तथा इस्पात क्षेत्र में शोध और विकास संवर्धन योजना - चल रही शोध और विकास परियोजनाएं	2852	8.00	...	8.00	6.00	...	6.00
2.02 कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इस्पात शीट और अन्य मूल्यवर्धित नवाचारी इस्पात उत्पाद (नया घटक) के लिए प्रौद्योगिकी विकास	2852	12.00	...	12.00	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
2.03 नवाचारी लोहा और इस्पात निर्माण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकास (विद्यमान योजना के तहत नई परियोजनाएं)	2852	2.00	...	2.00	6.50	...	6.50	14.00	...	14.00
जोड़- लौह तथा इस्पात क्षेत्र में शोध और विकास संवर्धन		8.00	...	8.00	20.00	...	20.00	7.00	...	7.00	15.00	...	15.00
3. सस्मिडी													
3.01 वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए जुटाए गए ऋणों के संबंध में हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को ब्याज सस्मिडी	2852	...	44.05	44.05	...	44.11	44.11	...	44.11	44.11	...	44.11	44.11
4. गारंटी शुल्क माफ करना													
4.01 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	2852	...	5.18	5.18	...	5.18	5.18	...	5.18	5.18	...	5.18	5.18
4.02 घटाइए - निवल प्राप्तियाँ	0075	...	-5.18	-5.18	...	-5.18	-5.18	...	-5.18	-5.18	...	-5.18	-5.18
कुल	
5. बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज के तहत बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लि. को अनुदान	2852

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
6. अन्य कार्यक्रम	2852	...	0.69	0.69	...	0.37	0.37	...	0.44	0.44	...	0.49	0.49
जोड़-लौह तथा इस्पात उद्योग		8.00	44.74	52.74	20.00	44.48	64.48	7.00	44.55	51.55	15.00	44.60	59.60
7. सरकारी उद्यमों में निवेश	6852
कुल जोड़		8.00	64.84	72.84	20.00	67.74	87.74	7.00	65.92	72.92	15.00	67.95	82.95
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
7.01 भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	12852	...	9890.00	9890.00	...	9000.00	9000.00	...	7800.00	7800.00	...	7500.00	7500.00
7.02 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	12852	...	1517.35	1517.35	...	1724.17	1724.17	...	1722.24	1722.24	...	1801.00	1801.00
7.03 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	12852
7.04 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड	12852	...	2518.14	2518.14	...	4345.00	4345.00	...	3555.00	3555.00	...	3588.00	3588.00
7.05 कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड	12852	...	0.77	0.77	...	50.00	50.00	...	13.00	13.00	...	27.00	27.00
7.06 मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड	12852	...	85.65	85.65	...	192.05	192.05	...	153.04	153.04	...	127.47	127.47
7.07 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज	12852
7.08 मेकॉन लिमिटेड	12852	...	5.98	5.98	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
7.09 एमएसटीसी लिमिटेड	12852	45.00	45.00	...	5.00	5.00	...	10.00	10.00
7.10 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	12852	...	7.60	7.60	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00
जोड़		...	14025.49	14025.49	...	15373.22	15373.22	...	13265.28	13265.28	...	13070.47	13070.47
ग. योजना परिव्यय													
1. लोहा और इस्पात उद्योग	12852	8.00	14025.49	14033.49	20.00	15373.22	15393.22	7.00	13265.28	13272.28	15.00	13070.47	13085.47

1. **सचिवालय:** प्रावधान इस्पात मंत्रालय के सचिवालय व्यय को पूरा करने के लिए हैं।

2. **लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन:**

2.01. **लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की संवर्धन स्कीम - चल रही आर एंड डी**

परियोजनाएं: पर्यावरण के अनुकूल गुणवत्तापरक इस्पात के किफायती उत्पादन के लिए अभिनव/उत्कृष्ट एवं उपर्युक्तन प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ावा देने और इनमें तेजी लाने के लिए प्रावधान किया गया है।

2.02. **कोल्ड-रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील शीटों और अन्य मूल्यवर्धित अभिनव स्टील उत्पादों (नए**

घटक) के लिए प्रौद्योगिकी का विकास: कोल्डक-रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील शीटों और अन्य मूल्यवर्धित अभिनव स्टील उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी विकास हेतु इस्पात मंत्रालय की वर्तमान आर एंड डी स्कीम के नए घटक हेतु प्रावधान किया गया है।

2.03. **नवीन लोहा/स्टील निर्माण की प्रक्रिया/प्रौद्योगिकी का विकास (विद्यमान स्कीम के तहत नई**

परियोजनाएं): नवीन लोहा/स्टील निर्माण की प्रक्रिया/प्रौद्योगिकी के विकास हेतु इस्पात मंत्रालय की वर्तमान आर एंड डी स्कीम के तहत एक नई परियोजना के लिए प्रावधान किया गया है।

3. **आर्थिक सहायताएं:**
- 3.01. **हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड:** स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से जुटाए गए ऋणों पर ब्याज के भुगतान के लिए।
4. **गारंटी शुल्क का माफ किया जाना:**
- 4.01. **हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड:** स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से जुटाए गए ऋणों के लिए गारंटी शुल्क माफ करने के लिए।
- 4.02. प्रावधान प्राप्तियों के अनुरूप हैं।
6. **अन्या कार्यक्रमः** इनमें लोहा एवं इस्पात विकास आयुक्त (डीसीआई एंड एस), कोलकाता, जो कि मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, के कार्यालय संबंधी स्थापना व्यय तथा सुप्रसिद्ध धातुकर्मियों को वार्षिक आधार पर दिए जाने वाले पुरस्कार के प्रावधान शामिल हैं। यद्यपि डीसीआई एंड एस का कार्यालय और इसके चार क्षेत्रीय कार्यालयों को दिनांक 23.5.2003 से बंद कर दिया गया है, फिर भी शेष स्टॉकफ के वेतनों और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए प्रावधान किया गया है, क्योंकि डीओपीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी सरप्लस कर्मचारी अपना वेतन तब तक लेते रहेंगे, जब तक कि उन्हें अन्यथा पदों पर तैनात नहीं किया जाता है अथवा वे अधिवर्षिता/त्याजग पत्र/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद कार्यालय नहीं छोड़ देते हैं।
7. **सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश:** इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विभिन्न पूंजीगत स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकतर उद्यम स्कीमों के पूंजीगत व्ययों को अपने आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से पूरा करते हैं, फिर भी वित्तीय दृष्टि से कमजोर कुछेक उद्यमों को इक्विटी निवेश और ऋणों के जरिए बजटीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 7.01. **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड:** इसके 5 प्रमुख इस्पात संयंत्र हैं जो बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर एवं सेलम में स्थित हैं और मिश्र इस्पात संयंत्र दुर्गापुर में स्थित है। 16.2.2006 से इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) जिसका एकीकृत इस्पात संयंत्र बर्नपुर में है और जो सेल की सहायक कंपनी थी, का सेल में विलय कर दिया गया है तथा इसे इस्को स्टील प्लांट नाम दिया गया है। महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड जो कैरो मिश्र का उत्पादन करती है, सेल की एक मात्र सहायक कंपनी है। भारत रिफ़ैक्ट्रीज लिमिटेड (वीआरएल), जो कि इस मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है, का विलय भी सेल के साथ किया गया है और इसका नाम अब सेल रिफ़ैक्ट्रीज लिमिटेड (एसआरयू) है। सेल संयंत्रों/इकाइयों और इसकी सहायक कंपनियों के योजना परिव्यय को सेल के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।
- (i) भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए 2586 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिसमें से 2287.00 करोड़ रूपए संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए हैं। शेष परिव्यय कोक ओवन बैटरी-9 बीएफ-4 स्टोआव का उन्नयन, मिड-स्टेयक कूलिंग सिस्टिम बीएफ-7 जैसी स्की-मों तथा अन्य चल रही, पूर्ण की गई एवं नई स्की-मों के लिए है।

(ii) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए 730.00 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिसमें से संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 564.00 करोड़ रूपए निर्धारित किए गए हैं। इस परिव्यय में शामिल अन्य स्कीमों में बीएफ में बैल लेस टाप चार्जिंग सिस्टिम की स्थापना, कांगडा में इस्पात प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, व्हीरल मशीन शॉप में व्हीकल मशीनिंग फैसिलिटी, बीएफ-3 के गैस क्लीनिंग प्लांट का सुधार/आधुनिकीकरण, सीओबी संख्या 5 का पुनर्निर्माण तथा अन्य चल रही, पूर्ण की गई एवं नई स्कीमों शामिल हैं।

(iii) राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के लिए 1250.00 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। परिव्यय में शामिल प्रमुख स्कीम में आरएसपी का आधुनिकीकरण एवं विस्तार (404.00 करोड़ रूपए) शामिल है। अन्य स्कीमों सीओबी संख्या 3 का पुनर्निर्माण, ब्लाकस्टर फर्नेस संख्या -1 का अपग्रेडेशन, स्पे शल प्लेलट प्लांट में अतिरिक्त हीट उपचार सुविधाये तथा अन्य चल रही, पूर्ण की गई और नई स्कीमों हैं।

(iv) बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए 940.00 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिसमें से संयंत्र के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए 499.00 करोड़ रूपए निर्धारित किए गए हैं। परिव्यय के अन्तर्गत अन्य स्कीमों में सीओबी संख्या 7 का पुनर्निर्माण, एसएमएस के कनवर्टर शैल ट्रियूनियन का प्रतिस्थापन तथा चल रही अन्य एवं नई स्कीमों शामिल हैं।

(v) इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी) के लिए 1100.00 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य भाग आईएसपी के आधुनिकीकरण एवं विस्तार (1043.00 करोड़ रूपए), सीओबी संख्या 10 के पुनर्निर्माण के लिए है और शेष राशि अन्य चल रही, पूर्ण की गई एवं नई स्कीमों के लिए हैं।

(vi) मिश्र इस्पात संयंत्र के लिए 6.00 करोड़ रूपए का परिव्यय कई पूरी हो चुकी स्कीमों, चल रही स्कीमों, और नई स्कीमों के लिए है।

(vii) सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी) के लिए 27.00 करोड़ रूपए का परिव्यय आवंटित किया गया है। इस परिव्यय का अधिकांश हिस्सा एसएसपी के विस्तार (22.00 करोड़ रूपए) के लिए तथा शेष राशि चल रही, पूर्ण की गई और नई स्कीमों के लिए है।

(viii) 520 करोड़ रूपये का परिव्यय कच्चा माल प्रभाग के लिए आवंटित किया गया है। परिव्यय का अधिकांश हिस्सा पेलैट संयंत्र (300 करोड़ रूपये) के साथ गुआ में उत्पादन क्षमता की वृद्धि के लिए है। अन्यप बड़ी स्कीमों मेघाहाताबुरु एवं बोलानी खानों का विस्तार कार्य के रूप में है तथा शेष धनराशि चल रही, पूर्ण की गई और नई स्कीमों के लिए है।

(ix) शेष 341.00 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रावधान विश्वेश्वरया आयरन एंड स्टील लि0 (5.00 करोड़ रूपये), सेल की केंद्रीय इकाइयों (250.00 करोड़ रूपये के संयुक्त उद्योग के माध्यम से निवेशो समेत 300 करोड़ रूपये), चंद्रपुर

फैरो अलॉय प्लांट (36.00 करोड़ रूपए) के विभिन्न चल रही और नई स्कीयमों/परियोजनाओं तथा अनुसंधान कार्य के लिए किया गया है।

7.02. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड: आरआईएनएल के अधीन विशाखापटनम स्टील प्लांट तत्कालीन सोवियत रूस के तकनीकी और वित्तीय सहायता से स्थापित भारत का यह पहला तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र है। 3 एमटीपीए क्षमता की इस परियोजना की सभी यूनिटों को कमिशन कर लिया गया था और ये वर्ष 1992 से प्रचालन कर रही हैं। लगभग 12300 करोड़ रूपये की लागत से 6.3 एमटीपीए क्षमता तक का विस्तार करने का कार्य अधिकांशतः आंतरिक प्रामियों की सहायता से वर्ष 2005/2006 में आरम्भ किया गया था। चरण-1 की यूनिटों अर्थात् सिंटर प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस, स्टील मेल्ट शॉप, बायर रोड मिल्स और अनुपागिकों को उत्तयरोत्तर रूप से कमिशन कर लिया गया था और ये अब परिचालन में है। चरण-2 की यूनिटों अर्थात् स्पेशल वार मिल और स्ट्रक्चरल मिल्स को दिसम्बर 2014 तक कमिशन करने का कार्यक्रम था। फर्नेसो को सितम्बर 2014 में लाईटअप कर दिया गया था। तथापि, हानिकारक हृदहृद तुफान के कारण इन मिलों की रूफ शीटिंग क्षतिग्रत/हट गई थी तथा इन यूनिटों की टेस्टिंग और ट्रायल रन प्रभावित हो गये थे। इन दोनों मिलों की कमिशनिंग अप्रैल 2015 तक करने की आयोजना की गई है।

मूल यूनिटों की वृहत मरम्मत और आधुनिकीकरण कार्य पहले ही शुरू कर लिये गये हैं और ब्लास्ट फर्नेस-1 के श्रेणी-1 के वृहत मरम्मत कार्य जुलाई 2014 में पूरे कर लिये गये हैं। अन्यह बड़ी यूनिटों यथा ब्लास्ट फर्नेस-2, सिंटर प्लांट और स्टील मेल्ट शॉप कनवर्टों की वृहत मरम्मत/आधुनिकीकरण कार्य शुरू कर लिये गये हैं और इनके उत्तरोत्तर रूप से वर्ष 2016-17 तक पूरा हो जाने की प्रत्याशा है। वृहत मरम्मत के पश्चात् हाट मेटल के उत्पादन में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एसएमएस-2 में एक अतिरिक्त कनवर्टर और कास्टपर की स्थापना की जा रही है तथा इनके उत्तरोत्तर रूप से वर्ष 2016-17 तक कमिशन होने की आयोजना की गई है।

आरआईएनएल के उपरोक्त कार्यों और अन्य एएमआर स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2015-16 हेतु 1402.00 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2015-16 के लिए ओएमडीसी लि. और वीएसएलसी लि. का योजना परिव्यय क्रमश 57.35 करोड़ रूपये और शून्यक है। इस समस्त परिव्यय में भारत सरकार से कोई अनुदान राशि शामिल नहीं है।

7.03. हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड: वर्ष 1964 में निगमित इस कंपनी को आधुनिक इस्पात संयंत्रों का पूरा निर्माण कार्य करने और साथ ही अवसंरचना क्षेत्र में उन परियोजनाओं से संबंधित कार्य करने की विशेषज्ञता हासिल है जिनके लिए उच्च स्तर की आयोजना, समन्वय और आधुनिकतम तकनीकों की आवश्यकता होती है। एचएससीएल के लिए किसी योजना परिव्यय का प्रस्ताव नहीं किया गया है। इस पीएसयू की पुनर्संरचना करने पर सरकार विचार कर रही है।

7.04. एनएमडीसी लिमिटेड: एनएमडीसी लिमिटेड देश का लौह अयस्क और हीरों का एक मात्र सबसे बड़ा उत्पादक है। कंपनी फैरिक ऑक्साइड, लौह चूर्ण आदि जैसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन भी शुरू कर रही है। योजना परिव्यय (कुल परिव्यय 3588.00 करोड़ रूपए) का अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ के नागरनार स्थित 3 एमटीपीए के इस्पात संयंत्र के लिए निर्धारित किया गया है। योजना परिव्यय की शेष धनराशि बैलाडिला डिपाजिट 11 बी, कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना,

दोगिमल्ले और बच्छेली में पेलेटाइजेशन प्लांट, ए एम आर/ टाउनशिप जैसी स्कीमों/परियोजनाओं तथा अनुसंधान एवं विकास स्कीम के लिए है।

7.05. केआईओसीएल लिमिटेड: केआईओसीएल लिमिटेड की स्थापना ईरान को निर्यात किए जाने हेतु लौह अयस्क सांद्रणों का विनिर्माण करने के लिए की गई थी। ईरान द्वारा करार के अनुसार लौह अयस्क सांद्रणों को लेने की असमर्थता के परिणामस्वरूप 3 मिलियन टन सांद्रण का उपयोग करने के लिए एक पैलेट संयंत्र लगाने को मई, 1981 में मंजूर किया गया था। 116.65 करोड़ रूपए की लागत से कार्यान्वित हुई इस परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल, 1987 में शुरू किया गया था। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कंपनी को कुद्रेमुख में दिनांक 31.12.2005 से खनन कार्य रोकना पड़ा था। वर्ष 2015-16 में 27.00 करोड़ रूपये का योजना परिव्यय आवंटित किया गया है।

7.06. माँयल लिमिटेड: माँयल लिमिटेड भारत सरकार और मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली कंपनी हैं। यह देश में मैंगनीज अयस्क की सबसे बड़ी उत्पादक कम्पनी है। लाभप्रदता में सुधार करने के लिए कंपनी ने इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज ड्राईऑक्साइड और फैरो मैंगनीज जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन शुरू किया है। उकवा, मन्साजर, चिकला, बालाघाट और गुमगांव खानों में वर्टिकल शॉफ्ट लगाने, सेल और आरआईएनएल के साथ फैरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज प्लांट के लिए संयुक्त उद्यम में निवेश करने, नए क्षेत्रों का विकास एवं भूमि अधिग्रहण, पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण सहित वन एवं पर्यावरण की स्वीकृति तथा एएमआर स्कीमों, टाउनशिप, अनुसंधान और विकास/व्यवहार्यता अध्ययनों आदि के लिए 127.47 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। समस्त परिव्यय को कंपनी के आई ईवीआर से पूरा किया जाएगा।

7.08. मेकॉन लिमिटेड: यह आई एस ओ: 9001-2008 प्राप्त देश का प्रथम परामर्शदात्री और इंजीनियरी संगठन है। यह कंपनी न केवल बेसिक इंजीनियरी, विस्तृत इंजीनियरी, परियोजना प्रबंधन आदि के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करती है अपितु इसने लौह, अलौह, तेल एवं गैस, पेट्रो-रसायन और अन्य सामान्य उद्योगों के लिए उपस्करों के डिजाइन और उनकी आपूर्ति में पर्याप्त विशेषज्ञता भी विकसित कर ली है। 5.00 करोड़ रूपए का योजना परिव्यय (आईईवीआर) में विभिन्न स्थानों में कार्यालय परिसर/अतिथि गृह का विस्तार, रद्दोबदल और वृद्धि के लिए है।

7.09. एमएसटीसी लिमिटेड :: यह कंपनी भारत सरकार की एक व्यापारिक कंपनी है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों के स्क्रेप और खनिज भंडारों के निपटान/प्रापण का कार्य इलेक्ट्रो निक्स पोर्टल/ई-कॉमर्स के माध्यम से करती है। कम्पनी निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा में वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य मर्दों के साथ-साथ स्क्रेप का आयात करती है। श्रेडिंग प्लांट की स्थापना के लिए निर्धारित 10.00 करोड़ रूपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसे कंपनी के आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से पूरा किया जाना है।

7.10. फैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड: एफएसएनएल, एमएसटीसी लिमि. की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है। कंपनी सेल/आरआईएनएल के इस्पात संयंत्रों तथा वीएचईएल, हरिद्वार और जेएसडब्ल्यू, डोल्बी के संयंत्रों से स्क्रेप की प्राप्ति और प्रसंस्करण का कार्य करती है। स्लैग के प्रसंस्करण और डम्पों से लोहे और इस्पात के पुनः संसाधन हेतु कंपनी को विभिन्न प्रकार के

उपस्करों और आधुनिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर होना पड़ता है। 12.00 करोड़ रूपए का योजना परिव्यय एएमआर स्कीमों के लिए है जिसे कंपनी के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से पूरा किया जाना है।